

न्यायालय- विशेष न्यायालय अनु० जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, विदिशा म०प्र०

जावक क्रमांक २५०/2020

विदिशा, दिनांक २७.३.२०२०

-नोटिस-

— 00 —

अभिभाषकगण एवं पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.03.2020 को संपूर्ण भारत में लॉकडाउन के अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म०प्र० के पत्र क्रमांक-क्यू-5 जबलपुर, दिनांक 25.03.2020 के अनुक्रम में जिला न्यायिक स्थापना विदिशा में दिनांक 14.04.2020 तक अकार्य दिवस घोषित किया गया है, तदानुसार इस न्यायालय के दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों को यथास्थिति सुनवाई हेतु संलग्न सारणी ए एवं बी के अनुसार आगामी दिनांक नियत की गयी।

योगेश कुमार गुप्ता
विशेष न्यायाधीश (विदिशा म०प्र०)
विदिशा न.प्र.

पृष्ठांक २५०/2020

विदिशा दिनांक २७.३.२०२०

प्रतिलिपि:-

01. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष/सचिव जिला अभिभाषक संघ, विदिशा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. सूचना पटल पर चरपा हेतु।
04. सिस्टम ऑफीसर को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


योगेश कुमार गुप्ता
विशेष न्यायाधीश (विदिशा म०प्र०)
विदिशा न.प्र.

सारणी-ए
सिविल

क्र०	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
निरंक	निरंक	निरंक

सारणी-बी
आपराधिक प्रकरण

क्र०	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	01.04.2020	12.05.2020
02	03.04.2020	13.05.2020
03	04.04.2020	14.05.2020
04	07.04.2020	15.05.2020
05	08.04.2020	18.05.2020
06	09.04.2020	19.05.2020
07	11.04.2020	20.05.2020


योगेश कुमार गुप्ता
अधीक्षक न्यायाधीश विदित 4090
सिद्धा न.स.

**न्यायालय:- कृष्णा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिशा
(म0प्र0)**

जावक क्रमांक :-...../20

विदिशा, दिनांक 29/3/2020


कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 25.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मलित है, दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	01.04.2020	01.06.2020
02	03.04.2020	02.06.2020
03	04.04.2020	03.06.2020
04	08.04.2020	05.06.2020
05	09.04.2020	06.06.2020
06	11.04.2020	08.06.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।


(कृष्णा अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
विदिशा (म0प्र0)

**न्यायालय-कृष्णा अग्रवाल प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा
के न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो विदिशा म0प्र0**

जावक क्रमांक :-...../20

विदिशा, दिनांक 29/3/2022

कोरोना बायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इन्सट्रक्श/ज्ञापन जबलपुर दिनांकित 25.03.2020 तथा शासन तथा प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशानुसार समस्त प्रकरणों में पक्षकारगणों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी एवं स्थगन से संबंधित अतिआवश्यक कार्य ही किए जावें, शेष कार्यवाहियां जिनमें अंतिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे। तदनुसार इस न्यायालय के नीचे दर्शाए गए नियत दिनाकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अंकित नियत दिनांक को सुनवाई हेतु यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगणों को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल नियत प्रकरणों की तिथियां

क्र0	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	03.04.2020	15.04.2020
02	04.04.2020	16.04.2020
03	07.04.2020	17.04.2020
04	08.04.2020	18.04.2020
05	09.04.2020	20.04.2020
06	11.04.2020	21.04.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल एवं दूसरी प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

(कृष्णा अग्रवाल)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
के न्यायालय के अति0 न्यायाधीश
विदिशा म0प्र0



Copy of Original

न्यायालय: वरुण चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा के
न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक...../2020

विदिशा दिनांक 29.03.2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी एडवायजरी/इंस्ट्रक्शन पृष्ठांकन क्रमांक बी/1674/11:15-7/2020 जबलपुर दिनांकित 16.03.2020 एवं एडवायजरी क्र० 345/ आरजी/2020 दिनांक 17.03.2020 एवं सरक्यूलर क्रमांक 05 दिनांक 25.03.2020 व माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्यालयीन ज्ञापन क्र० क्यू-4 दिनांक 25.03.2020 तथा शासन एवं प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशानुसार **समस्त प्रकरणों में पक्षकारगण के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से विरत रहने के निर्देश दिये गये हैं।**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल जमानत संबंधी प्रकरण एवं स्थगन से संबंधित अति आवश्यक कार्य ही किया जावेगा। शेष कार्यवाहीयों जिनमें अन्तिम तर्क भी सम्मिलित है, दिनांक 14.04.2020 तक स्थगित रहेंगे।

तदनुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए गए नियत दिनांकों में नियत प्रकरणों को उनके सम्मुख अकिंत नियत दिनांक को यथा स्थिति सुनवाई हेतु ग्राह्य किए जायेंगे।

तदनुसार पक्षकारगण को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ विदिशा के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

सिविल एवं आपराधिक नियत प्रकरणों की तिथियां

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
01	01.04.2020	15.04.2020
02	03.04.2020	15.04.2020
03	04.04.2020	04.05.2020
04	07.04.2020	05.05.2020
05	08.04.2020	06.05.2020
06	09.04.2020	11.05.2020

इस आदेश की एक प्रति इस न्यायालय के सूचना पटल पर तथा दूसरी जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

वरुण चौहान

वरुण चौहान,

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- दो विदिशा

के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश

वर्ग- दो विदिशा (म0प्र0)

न्यायालय- एम.एस.तोमर, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस.एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) विदिशा म0प्र0

दिनांक 27.03.2020

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र क. 36 दि. 25.03.2020 के पालन में महामारी नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण संपूर्ण जिला विदिशा में दिनांक 01.04.2020 से दि. 14.04.2020 तक (सार्वजनिक अवकाश सहित) संपूर्ण भारत में लॉक-डॉउन के निर्देश के अनुक्रम में उपरोक्त संपूर्ण अवधि अकार्य दिवस होने के कारण जिला स्थापना विदिशा एवं तहसील के समस्त न्यायालय बंद रहेंगे। तदानुसार इस न्यायालय में नीचे दर्शाए अनुसार नियत दिनांको के समस्त प्रकरण उनके सम्मुख अंकित दिनांको को सुनवाई हेतु यथास्थिति में ग्राह्य किए जावेगे।

तदानुसार पक्षकारगण को सूचित किए जाने हेतु आदेश की प्रति जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

क.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	01.04.2020	15.05.2020
2	03.04.2020	18.05.2020
3	04.04.2020	19.05.2020
4	07.04.2020	20.05.2020
5	08.04.2020	21.05.2020
6	09.04.2020	22.05.2020
7	11.04.2020	23.05.2020
8	13.04.2020	26.05.2020

इस आदेश की प्रति जिला न्यायालय के मुख्य द्वार के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।

(एम.एस.तोमर)

विशेष न्या. एन.डी.पी.एस.एक्ट
एवं विशेष न्या. भ्र.नि.अधि.
विदिशा म0प्र0